राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांकः–एफ–4/मु./याता/लेखा (110)/2021/ 1161 दिनांकः– 7-5-2021

कार्यालय–आदेश

कार्यालय आदेश क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा (110)/2010/539 दिनांक 03.08.2010 के अनुसार केन्द्रीय निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा 2(1) के अन्तर्गत जो व्यक्ति कम से कम 40 प्रतिशत निःशक्तता धारी हो, उसे निःशक्त की श्रेणी में रखा जाता है। इस अधिनियम की धारा 2(वी) कम दृष्टि (आई) श्रवणबाधित (ओ) चलन निःशक्तता एवं (क्यू) मानसिक रूग्णता के अनुसार परिभाषित विकलांग यदि कम से कम 40 प्रतिशत विकलांगता रखते हो, उन्हे राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने तथा मानसिक मंदता, मानसिक रूग्णता एवं अंधता से प्रभावित निःशक्त व्यक्ति के साथ यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को राजस्थान परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान करने की अनुमति प्रदान की जा रही है।

संयुक्त शासन सचिव परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प.16(5)परि/2008 जयपुर दिनांक 28.04.2021 एवं वित (व्यय–2) विभाग की आई.डी. संख्या 102101684 दिनांक 15.04.2021 की अनुपालना में केन्द्रीय दिव्यांगजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार 14 निम्न नवीन निःशक्त श्रेणीयों को भी निगम की साधारण/द्रुतगामी एवं रात्री सेवा वाहनों में निःशुल्क यात्रा की एतद द्वारा सुविधा प्रदान की जाती हैः–

स्वलीनता	मल्टीपल स्कलरोसीस	प्रमस्तिष्क धात	क्रोनिक न्यूरोलाजिकल कण्डीशन	बौनापन हीमोफिलिया
अतिरिक्त चाप,	तेजाब हमला पीडित,	पार्किनास रोगी	बहुनिःशक्ता (अन्धता एवं बहरा)	स्पेसिफिकलर्निग डिसेब्लीटी
थैलेसिमिया	मांसपेशीय दुर्विकास	सीकल सैल डिजीज	वाक् एवं भाषा निःशक्ता	

उक्त श्रेणी के निःशक्त व्यक्तियों को केन्द्रीय दिव्यांगजन व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार परिभाषित व्यक्ति को निगम द्वारा विभिन्न मार्गो पर यथा राजस्थान राज्य क्षेत्र व राजस्थान राज्य क्षेत्र के बाहर संचालित की जा रही साधारण एवं द्रुतगामी/रात्री सेवा वाहनों में, निःशुल्क यात्रा सुविधा देय होगी, किन्तु वातानुकूलित सुपर लग्जरी, डीलक्स, सेमी डीलक्स वाहनों में किसी प्रकार की रियायत देय नहीं होगी। आर.एफ.आई.डी कार्ड जारी करने व उनके नवीनीकरण करने तथा अभिलेखों को संधारण करने की प्रक्रिया इस कार्यालय के परिपत्र क्रमांक एफ–4/मु./याता/लेखा/09/815 दिनांक 06.10.2009 के अनुरूप होगी। निःशक्तजनों को निःशुल्क यात्रा के लिये टिकिट जारी करने की व्यवस्था आदेश संख्या एफ–4/मु./याता/लेखा /06/955 दिनांक 15.11.2006 के अनुरूप की जावेगी तथा निःशुल्क एवं रियायती यात्राओं के वित्तीय भार की सूचना भी तदानुसार प्रेषित की जावेगी।

शेष नियम/शर्ते यथावत रहेगी।

उक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे।

(राजेश्वर सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

क्रमांकः–एफ–4/मु/याता/लेखा (110)/2021/ 1161 दिनांकः– 7-5-2021

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
3. प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. महानिदेशक पुलिस आयोजना, आधुनिकीकरण एवं कल्याण राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव एव परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
7. निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
8. वित्तीय सलाहकार, पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर।
9. समस्त विभागाध्यक्ष ( ) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर।
10. समस्त महा प्रबन्धक/संयुक्त महा प्रबन्धक( ) राजस्थान परिवहन निगम, मु0जयपुर।
11. निगम सचिव/ उप महा प्रबन्धक (सांख्यिकी/बजट/टिकिट/ अंकेक्षण) राज0 परि0 नि0 मु0 जयपुर।
12. उप महा प्रबन्धक(आई.टी.) राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि वर्णित आदेश वेबसाईट पर उपलब्ध कराना एवं तदानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
13. मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम,........................ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

(लोकेश कुमार सहल)
कार्यकारी निदेशक (यातायात)